[Shri S. A. Dorai Sebastian]

not having sufficient stock of medicines, vaccines to cure this disease and there is a fear that this disease will capture all the cattles of Tamil Nadu very soon. The Ministry of Petroleum and Chemicals should study this situation and effective medicines should be sent immediately to save further perishing of cattles.

The Fact-finding team of the Central Government should visit Tamil Nadu immediately and all the relief measures should be rushed-up. More Central allocation of food, medicine and funds should be made available at once to avoid further destruction of cattles and mankind in Tamil Nadu. 'Food for work programme' and 'National Rural Employment Programme' should be implemented on a war-footing scale to save the village people from starvation.

More funds should be allotted for deepening the dried wells, for sinking new wells and drilling borewells for drinking water purposes, as people are searching for water for miles together. The plight of the village people is unimaginable and pathetic.

I, therefore, urge the Central Government to allot interim relief urgently at least up to the tune of Rs. 30 crores as the first instalment before the proposed fact finding team submits its report to the Government.

(v) Clearance of lease papers F R allotment of land to members of Housing Society in Delhi

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं :

भारत सरकार ने दिल्ली में प्रवास हेतु बहुत सी योजनायें बनाई थीं। इस नीति के अनुसार पिछले 20 वर्षों में बहुत सी ग्रुप हाउसिंग योजनायें स्वीकृत हुई हैं। इन समितियों को जमीन भी पिछले 15–20 वर्षों से दे दी गई है। तब से बहुत सी ऐसी समितियों ने अपना विकास कार्य भी कर लिया है और गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए जनता ने, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इनमें खर्च किए हैं। इनमें से कुछ समितियां जो कि वर्ष 1961 में बनी थीं, अभी तक अपने सदस्यों को जमीन नहीं दे पाई हैं। एक ऐसा ही उदाहरण जो मेरे ध्यान में है वह है योजना आयोग एवं सांख्यिकी विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों की समिति। इस समिति के सदस्य भी अन्य समितियों के सदस्यों की तरह से शीघ्र जमीन मिल जाने के इच्छुक है, जमीन विकास कार्य भी एक साल से अधिक हुए पूरा हो गया है। उनके मकान बनने की कार्यवाही तुरन्त शुरू हो सकती है अगर सरकारी महकमे कागजी कार्यवाही पूरी कर दें। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि देश की योजना बनाने वाले खुद अपने लिए योजना नहीं बना पाए है।

ऐसा समझा जाता है कि यह समस्या, आवास मंत्रालय द्वारा लीज पेपर्स क्लियर न करने की वजह से है। प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन भी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को करना है।

मैं इस विषय में योजना एवं आवास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इस मामले में गौर करें एवं योजना आयोग की समिति के सदस्यों को शीघ्र जमीन एलाट करवायें।

(vi) Elections to Delhi Metropolitan Council

श्री अटल बिहारी वाजपयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आज सदन में उठाना चाहता हूं :

दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली को 20 मार्च, 1980 को भंग किया गया था। कानून के अनुसार कौंसिल के चुनाव

6 महीने के भीतर होने चाहिए। किन्तु सरकार ने गत वर्ष चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया। चुनाव को टालने का कोई औचित्य नहीं था।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है। यहां न निर्वाचित विधान सभा है और न निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को ही काम करने का अवसर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम भंग किया जा चुका है। नई दिल्ली नगरपालिका को पूरी तरह सरकारी संस्था बना दिया गया है। दिल्ली की जनता अपना दुखड़ा कहां रोयें? किसके पास शिकायत ले कर जाएं?

मैं मांग करता हूं कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनाव अविलम्ब कराये जायें। दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी साथ ही होने चाहिए। यदि सरकार चुनावों को फिर से टालने का फैसला करती है तो यह दिल्ली निवासियों के साथ अन्याय है और लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा।

12.58½ hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma): I beg to move:

"This House disapproves of the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 2 of 1981) promulgated by the President on the 21st January, 1981."

12.59 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF DELHI SIKH GURDWARAS (AMNEDMENT) ORDINANCE AND DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri R. L. P. Verma.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981 जो आया है, यह न तो संवैधानिक है, न नियमानुकूल है और न ही उचित है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो आर्डिनेंन्स लाया गया था, उस को ला कर सरकार द्वारा एक अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया गया है।

सिखइज्म की जो परम्परा है, उस परम्परा के अनुसार गुरु नानक जी, गुरु गोविन्द सिंह जी और बहुत से हमारे देश के दूसरे संतों ने इस पंथ को चलाया था।..

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Minister for Unparliamentary Affairs is disturbing the proceedings of the House.

MR. CHAIRMAN: 'Unparliamentary expressions' I have heard but 'unparliamentary Minister' I am hearing for the first time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: 'Visham'—dangerous.

MR. CHAIRMAN: Or is it a tribute you are paying?

Mr. Verma.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा इस धार्मिक संस्था को राजनैतिक ढांचे के अन्दर लाने का दुष्प्रयास किया गया है। इस से सिख धर्म के अन्दर जो उस की पवित्रता है और जो उस का पवित्र उद्देश्य था देश की सेवा, राष्ट्र की रक्षा का, उस में एक भारी दलदल पैदा हो जाती है।